

## राजस्थान विधान सभा

### छठा सत्र

### कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2016

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

### 1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

### 2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा, राज्य कर्मचारियों पर तीसरी संतान होने पर दण्डात्मक प्रावधानों को समाप्त करने के संबंध में कार्मिक मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द्र पारख, सदस्य, विधान सभा, तहसील-रोहट, जिला – पाली में पेयजल की समस्या के समाधान के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

#### अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

#### वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-251 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-252 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-253 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा देशी मदिरा विक्रय हेतु अनुज्ञाधारी व्यवहारियों को कर के संदाय से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-254 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

जारी..2..

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-255 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-256 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-257 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा जैम्स और स्टोन के लिये प्रशमन स्कीम, 2006 के अन्तर्गत व्यवहारियों को संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-258 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा सर्राफा व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2006 के अन्तर्गत व्यवहारियों को संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-259 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-116 दिनांक 21.1.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-260 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-261 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-262 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत यार्न पर प्रवेश कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-263 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-III-192 दिनांक 24.2.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-264 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-210 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-265 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-215 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-266 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-4-क के अन्तर्गत मैरीज हॉल के लिये नई प्रशमन योजना, 2016 लागू की गई है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-267 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-7(1) के अन्तर्गत मैरीज हॉल के प्रोपराईटर द्वारा दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 अवधि में देय विलासिता कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-268 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-I-118 दिनांक 8.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए उपभोक्ताओं के वर्ग को संदेय विद्युत शुल्क के संदाय से दिनांक 8.10.2014 से छूट प्रदान की गई है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-269 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में आने वाले पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है; एवं
20. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-270 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 12.1.2016 में संशोधन किया गया है ।

#### **4. याचिकाओं का उपस्थापन**

- (I) श्री झाबर सिंह खर्वा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- 1- श्रीमाधोपुर (सीकर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् ।
  - 2- राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में जीव विज्ञान विषय खोलने एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने बाबत् ।
- (II) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- 1- विधान सभा क्षेत्र खीवसर में पांचला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सीएचसी के अनुसार वित्तीय स्वीकृति, स्टाफ व संसाधन उपलब्ध करवाने बाबत् ।
  - 2- विधान सभा क्षेत्र खीवसर के ग्राम बिरलोका में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित जमीन पर भवन निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करवाने बाबत् ।
- (III) श्री हबिबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य, विधान सभा, ग्राम कुमारी (नागौर) में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (IV) राजकुमारी दियाकुमारी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के मलारना चौड़ को उप तहसील बनाये जाने की स्वीकृति बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

## 5. विधायी कार्य

### विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

#### (I) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा  
निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)  
अध्यादेश, 2016  
(2016 का अध्यादेश संख्या-2) के  
संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा  
दिनांक 18 जनवरी, 2016 को प्रख्यापित  
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)  
अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश  
संख्या-2) को अस्वीकार करता है।"

- (II) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि  
निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)  
विधेयक, 2016  
(2016 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994  
को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक  
को पारित किया जाय।

#### (II) साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे  
कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर  
विधेयक, 2016  
(2016 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान राज्य में साईं तिरूपति विश्वविद्यालय,  
उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और  
उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये  
उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक  
को पारित किया जाय।

**(III) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि  
विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन)  
विधेयक, 2016  
(2016 का विधेयक संख्या-10)

“डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि  
विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012  
को निरसित करने के लिए विधेयक” ।

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(IV) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजीव गांधी जनजातीय  
विश्वविद्यालय, उदयपुर  
(नाम और मुख्यालय  
परिवर्तन, और संशोधन)  
विधेयक, 2016  
(2016 का विधेयक संख्या-11)

“राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय,  
उदयपुर के नाम और इसके मुख्यालय को  
परिवर्तित करने और राजीव गांधी  
जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर  
अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन  
भी करने के लिए विधेयक” ।

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर ।  
दिनांक : 31 मार्च, 2016